न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/25/2018	27–03–2018	04–09–2019

01– हमीद खां पुत्र श्री कबीरखां
02– हनीफ खां पुत्र श्री कबीर खां
03– अलीमौहम्मद उर्फ बलीमौहम्मद पुत्र श्री कबीरखां जाति मेव निवासी ग्राम ओदरा तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।

–अपीलांट

बनाम

01– हकमूदीन पुत्र श्री रहमान जाति मेव निवासी ग्राम दयालपुर तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।
02– तहसीलदार किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।

–रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दि0 22.03.2018 तहसीलदार किशनगढ–बास जिला अलवर।

उपस्थितः–
01–श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपीलांट
02–श्री मूलचंद चौधरी –रैस्पो0 सं. 1

–निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढ़–बास द्वारा सम्पर्क पोर्टल की शिकायत पर प्रकरण तैयार कर आरटीएक्ट की धारा 251 के संबंध में आदेश दिनांक 22.03.2018 पारित किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास में स्थित खसरा नम्बर 312, 313, 315, 742, 743 अपीलांट की खातेदारी आराजी है तथा खसरा नम्बर 305 तबादला कर प्राप्त की गयी आराजी है। खसरा नम्बर 313 ग्राम ओदरा व खसरा नम्बर 14 ग्राम दयालपुर के डोल लगते हुए है। ग्राम दयालपुर के खसरा नम्बर 05 व 14 अपीलांट्स की खातेदारी आराजी है। खसरा नम्बर 313 व 14 में अपीलांट्स द्वारा 35–40 साल से रिहायशी मकान बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट्स की खातेदारी आराजी में से रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये है। जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय को खातेदारी आराजी में से धारा 251 के तहत रास्ते के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। ग्रम ओदरा, दयालपुर, जाटका तीनों ग्रामों की सीमा मिलती है। जिनके नक्शे में कोई रास्ता अंकन नहीं है। अपीलांट्स द्वारा एक सिविल वाद हनीफ बनाम उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास वगैरा दायर किया हुआ है जिस वाद में तहसीलदार किशनगढबास स्वंय पक्षकार है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 लगा0 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही भी हो चुकी है तथा प्रा0पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 भी खारिज हो चुका है। उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगाई गई मौका जांच रिपोर्ट दि. 26.10.2017, 27.02.2018 व–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

07.03.2018 जो पटवारी हल्का से तलब की गई है। उक्त रिकॉर्ड में भी विवादित नम्बर पर कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त रिपोर्ट के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा जिस रास्ते का उल्लेख किया गया है, वह अपीलांट्स को निजी खातेदारी का रास्ता हैं जो अपीलांट्स ने अपने रिहायशी मकान में जाने के लिए बनाया है। अपीलांट्स द्वारा अपने फसल की एवं मकानात् की सुरक्षा हेतु डंडा कर गेट लगाये हुए है। डंडा और गेट भी अपीलांट्स की निजी खातेदारी की आराजी में लगे हुए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दि. 22.02.2018 की आदेशिका में निर्णय सुनाये जाने का तथ्य अंकित है जबकि अपीलांट्स को प्राप्त निर्णय में दि0 22.03.2018 नियत की गई है। रैस्पो0 द्वारा एक तरफ तो धारा 251 आरटीएक्ट के तहत कार्यवाही की हुई है तथा दूसरी तरफ स्वंय की आराजी का रास्ता चाहने के लिए धारा 251ए के तहत कार्यवाही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के यहां विचाराधीन है। आराजी खसरा नम्बर 315 व अन्य आराजी ग्राम ओदरा के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के यहां से स्थगन जारी किया हुआ था। जो दि. 20.03.2018 को ताफैसला दावा किया गया। इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के यहां से स्थगन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 के तहत निर्णय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के यहां वर्तमान प्रकरण में जवाब प्रा0पत्र दि. 26.03.2018 पेश किया गया था जो पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय मे पेश प्रा0पत्र में प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का तथ्य गलत दर्ज किया गया है जबकि पटवारी हल्का द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि प्रार्थी के पास बांध की पाल से होता हुआ अपने खेतो व घरो में जाने के लिए रास्ता मौजूद है। उसी रास्ते से रैस्पो0 आते जाते है तथा कृषि साधन ले जाते है। किन्तु महज अपीलांट्स को नुकसान पहुंचाने की नियत से धारा 251 का प्रा.पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वंय के निर्णय में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त रास्ता अपीलांट्स का निजी रास्ता है तथा जो निर्णय दिया गया है खसरा नम्बर 14 वाके ग्राम दयालपुर के आराजी खसरा नम्बर 313, 314 पर लोहे के गेट लगे हुए है, को अपीलांट्स रात के समय गेट बन्द रख सकते है। इस प्रकार का निर्णय धारा 251 की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास का निर्णय दि. 22.03.2018 निरस्त फरमाया जावें। अपीलांट ने अपील के समर्थन में आरआरटी 2019 2 पेज 860, 2016 आरबीजे 331, 2017 आरबीजे 259 पेश की है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा सही तथ्य पेश नहीं किये गये है। सम्पर्क पॉर्टल पर हिदायत दी गयी थी कि लगाये गये लोहे के गेटों को खोला जावें। तहसीलदार किशनगढ बास द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत् है। रैस्पो0 को अपनी आराजी पर आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में माननीय सिविल न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश किशनगढबास के यहां प्रकरण विचाराधीन है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में भी प्रकरण विचाराधीन है। वर्तमान में रैस्पो0 ने जबसे होश सम्भाला है। उसी रास्ते से आते–जाते रहे है तथा शांतिपूर्ण आवागमन करते है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें। जवाब के समर्थन में 2018 आरबीजे पेज 117, आरआरडी 14.07. 2013 पेज 460 पेश किये है।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी, कानूनगो रिपोर्ट दि. 26.10.2017, 27.02.2018 व 07.03.2018 से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दि. 22.02.2018 को निर्णय बताया है, जबकि मूल निर्णय में निर्णय दि. 22.03.2018 अंकित है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दि. 27.02.2018 में अंकित किया है कि बांध की पाल से रैस्पो0 को आने–जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। आरटीएक्ट की धारा 251 के तहत अगर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है और उस रास्ते पर किसी व्यक्ति ने अवरोध पैदा कर दिया है तो उस रास्ते को खुलवाने तथा उस पर से अवरोध हटवाने का प्रावधान है। नया रास्ता कायम कराने का प्रावधान आरटीएक्ट की धारा 251 में नहीं है। अपीलांट द्वारा विवादित खातेदारी आराजी पर अपने रिहायशी मकान बनाये हुए है। अपीलांट द्वारा अपने रिहायशी मकानों की एवं खेतों में फसल की सुरक्षा हेतु अपनी निजी खातेदारी की भूमि पर डण्डा लगाकर लोहे के गेट लगाये गये है। जिसका अपीलांट को पूर्ण अधिकार है। रैस्पो0 के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के कारण अपीलांट की खातेदारी में से नया रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा निर्णय दि0 22.03.2018 में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट धारा 251 के साथ राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–5/रेव/ग्रुप–4/80/34 दिनांक 04.09.1982 जिसका राजस्थान गजट एक्ट्रा ऑर्डनरी II दिनांक 25.09.1982 पेज 219 व 220 में प्रकाशन किया गया है, के अनुसार सुस्थापित प्रकिया की पालना नहीं की गई है, अपील प्रथमदृष्टया (Prima facie) न्यायहित में उचित प्रतीत होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार किशनगढ़–बास का आदेश दिनांक 22.03.2018 को निरस्त किया जाता है। समान पक्षकारों के मध्य रास्ते के सुखाधिकार को लेकर व माननीय सिविल न्यायालय ने वाद विचाराधीन है साथ ही प्रभावित पक्षकारों को धारा 251ए में भी विधिक उपचार उपलब्ध है, जो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले माननीय न्यायालय में सुस्थापित विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत दावा दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढ–बास को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)